तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/2/25	पत्रावली पेश। तलबी। तलबाने पेश किये। तलबी जारी कर पत्रावली दिनांक → 10/3/25 को पेश हो। [signature]	
10/3/25	पत्रावली पेश। अप्रार्थी संख्या-1 की तामील प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से वकालतनामा C.P. Jain एडवोकेट ने पेश किया, जो शा० मिसल किया गया। वास्ते पेश करने जवाब दिनांक - 9/4/25 को पेश हो। [signature]	
9/4/25	पत्रावली पेश। प्रार्थी लालाराम की ओर से जवाब मय शपथ पत्र के पेश किया, नकल वकील अप्रार्थी दिलाई जाकर शा० मिसल किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 12/5/25 को पेश हो। [signature]	
12/5/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक → 23/06/25 को पेश हो। [signature]	
23/6/25 →	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक - 9/7/25 को पेश हो। [signature]	
9/7/25	पत्रावली पेश। वास्ते आदेश प्रा० पत्र दिनांक 16/7/25 को पेश हो। [signature]	
16/07/25	पत्रावली पेश। प्रा० पत्र पर बहस के दौरान	

ख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थीया (अप्रार्थी) ने कथन किया की वह और उसके वकील सा० न्यायालय मे लगातार उप० चले आ रहे थे परन्तु ईकजाई पेशीयाँ नियत हो जाने से व प्रार्थीयॉ वृद्ध होने से हर पेशी पर आना जरूरी नही समझने से उप० नही हो पाई है। प्रा०पत्र उक्त परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुये स्वीकार किया जाकर स्वीकार किया जाकर हमें वापस रिकॉर्ड पर लिया जावें। खण्डन में वकील अप्रार्थी (प्रार्थी) ने कथन किया की ये जानकारी के बावजूद भी न्यायालय मे अनु० रहे है। प्रकरण निर्णित होने उपरान्त पालना को विलम्बित करने हेतु प्रा०पत्र पेश किया है, जो खारिज किया जावें। हमने वकील पक्षकारान द्वारा दिये गये तर्कों पर पुन: मनन किया न्यायालय प्रकरण मे प्रार्थीया को सुना जाना उचित समझता है, ताकि अनावश्यक वाद बाहुलता ना हो व प्रकरण का गुणावगुण पर पुन: निस्तारण किया जा सके। अत: प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीयॉ के विरुद्ध दिनांक - 20/10/23 को की गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया जाकर वापस रिकॉर्ड पर लिया जाता है। प्रा०पत्र फैसल शुमार किया जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर बाद तकमील मूल प्रकरण के साथ नत्थी हो निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	